न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार सिन्धव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 07 / 17

बाबुलाल आत्मज स्व0 श्री रामलाल जाति गुर्जर, निवासी रोझडी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (वादिनी)

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान (प्रतिवादी)

वाद वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थिति : अभिभाषक वादीगण श्री बद्रीप्रकाश, शर्मा

दिनांक : 19.07.2017

निर्णय

विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि –

वादी के भाई मोडूलाल वल्द रामलाल गुर्जर निवासी रोझडी, तह0 लाडपुरा जिला कोटा को आराजी गत खसरा नं0 179 की 15 बीघा का आवंटन दिनांक 20.4.1973 को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था और आवंटन कर भूमि पर उन्हें मौके पर दखल दिया गया था। आवंटन उपरान्त भूमि पर दखल देने के बाद ही उक्त आराजी में दनिांक 3.11.75 को उन्हें गैर खातेदारी अधिकार प्रदान कर उनके गैर खातेदारी मे दर्ज की गई, जिसका नामान्तरकरण सं0 128 खोला गया, और इसके बाद मोडूलाल जी बतौर आवंटी व मालिक उक्त भूमि पर अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे और दिनांक 30.9.1988 को आवंटी मोडूलाल बेओलाद फौत हो गये, और इसके पश्चात प्रार्थी वादी उनका भाई एवं जायज वारिस व उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि पर काबिज काश्त निरन्तर चला आ रहा है। उक्त गैर खातेदारी का नामान्तरकरण खोलकर आवंटी मोडूलाल को खातेदारी अधिकार तो प्रदान कर दिये गये, किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा सहवन से उक्त गैर खातेदारी के नामान्तरकरण का अंकन जमाबन्दी में नहीं किया गया, और सेटलमेंट के उपरान्त उक्त भूमि के नये नं0 179 / 1 मि0 व 179 / 1 कायम किया गया तथा 179 / 1 मि0 की भूमि ख0नं0 177 मि0 के साथ मिलाकर बनाया गया जिसका कुल रकबा 2.88 है0 तथा ख0नं0 179 / 1 मि0 को खसरा नं0 188 / 1 मि0 व 169 मि0 पुराना खसरा नं0 274 दर्शाते हुये पुराने खसरा नं0 274 का रकबा 4.02 है0 दर्शा दिया गया है, इस प्रकार सेटलमेन्ट अधिकारियों ने गलत रूप से व लापरवाही पूर्वक वादी के भाई को आवंटित भूमि को अन्य खसरा नं0 में मिलाकर उसका नया नं0 कायम कर दिया, जबकि मौके पर आज भी भूमि पूर्ववत यथावत 15 बीघा मौजूद है और जिस पर वादी बतौर मालिक स्व0 मोडूलाल के उत्तराधिकारी की हैसियत से काबिज काश्त है तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत तौर पर उक्त आवंटनशुदा भूमि को अन्य खसरा नं0 में मर्ज कर मिलाते

सहायक कलक्टर
कार्यपालक दण्डनाय
कोटा (राज.)

हुये नया नं0 सिवायचक दर्ज कर दिया है, जो कि वादी मृतक मोडूलाल के उत्तराधिकारी की हैसियत से स्वयं के खाते दर्ज करवा कर रिकार्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद कराने का अधिकारी है।

स्व0 मोडू लाल जी जब तक जीवित रहे, स्वयं उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे और वादी जो कि उनका भाई है, उनके जीवनकाल में ही उक्त भूमि पर उनके साथ ही काश्त करता आ रहा है, और आज भी वादी ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। स्व0 मोडूलाल के कोई औलाद नहीं है, और इस प्रकार वादी ही मोडूलाल का एकमात्र उत्तराधिकारी है और वादी के अलावा उनका अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है और वादी के अलावा मृतक मोडूलाल का अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं हैं। और उनका उत्तराधिकारी होने से वादी उक्त भूमि का खातेदार घोषित होकर रिकार्ड में बतौर खातेदार नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। सेटलमेंट विभाग द्वारा रिकार्ड में गलत इन्द्राज की वादी को कभी जानकारी नहीं हुई, तथा पटवारी हल्का से जानकारी होने पर उसने कई बार राजस्व अधिकारियों से इन्द्राज दुरूस्ती कर उक्त आवंटित 15 बीघा भूमि जो कि मि0ख0 नं0 168 व 169 से मिलाकर नया ख0नं0 274 रकबा 4.02 है0 कायम कर सिवायचक दर्ज किया गया है, उसमें से वादी के भाई मोडूलाल को आवंटनशुदा 15 बीघा यानि 2.40 है0 रकबा वादी के खाते दर्ज करने हेतु निवेदन किये, किन्तु इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की गई और दिनांक 16.11.16 को तहसीलदार लाडपुरा ने इन्द्राज दुरूस्ती करने से इनकार करते हुये शीघ्र ही रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर वादी को आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है, अतः वादी को माननीय न्यायालय में उक्त वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत वाद में स्टेट आफ राजस्थान लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है, प्रस्तुत वाद का वाद कारण दौराने सेटलमेंट वादी के भाई मोडूलाल को आवंटन शुदा भूमि गत ख0नं0 179 की 15 बीघा जिसके सेटलमेंट बाद अन्य नम्बरान के साथ मिलाकर नया ख0नं0 274 रकबा 4.02 है0 कायम कर सिवायचक दर्ज कर देने और तदुपरान्त वादी को जानकारी होने पर उसके द्वारा राजस्व अधिकारियों से इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन करने और तहसीलदार सा0 द्वारा दिनांक 16.11.16 को इन्द्राज दुरूस्ती करने से इनकार करते हुये शीघ्र ही वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की मद सं0 1 में वर्णित वादी के भाई मोडूलाल को आवंटित व गैर खातेदारी की आराजी ख0नं0 गत 179 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम रोझडी, जिसके सेटलमेंट के दौरान नये ख0नं0 179/1 मिन व 179 कायम किये गये है, और जिसे अन्य ख0नं0 179/1 व 188/1 एवं 169 के साथ मिलाकर नया नं0 274 कायम कर रकबा 4.02 है0 कायम किया गया है, उसमें से वादी के भाई मोडूलाल को आवंटित 15 बीघा यानि 2.40 है0 रकबा सिवायचक से हटाकर वादी को उसका खातेदार घोषित करते हुये वादी के खाते दर्ज किया जावे तथा इसी अनुरूप रिकार्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, कि राजस्व रिकार्ड में किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के भाई मोडूलाल को आवंटन व गैर खातेदारी की आराजी गत खसरा नं0 179 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम आवंली तह0 लाडपुरा जिसके अन्य खसरा नम्बरान को मिलाकर दौरान सेटलमेंट नया नं0 274 कायम किया गया है और सिवायचक

सहायक कलक्टर
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

दर्ज किया गया है, उस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी, वादी की 15 बीघा ख0नं0 274 की भूमि 2.40 है0 से ताकत के बल पर वादी को न तो बेदखल करे और न ही उसमें खडी वादी की फसल को कोई क्षति पहुंचावे, तथा वादी के ख0नं0 274 की 2.40 है0 पर चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे में प्रतिवादी ताकत के बल पर कोई मजाहमत व मदाखलत भी नहीं करे। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये।

1 नकल आवंटन पत्रावली ग्राम आवंली दिनांक 20.04.73 मि.नं. 430 जिसमें आवंटी मोडूलाल पुत्र रामलाल को आई.एल.आर. व पटवारी द्वारा कब्जा दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। उक्त आवंटन आदेश के साथ आवंटन के आवेदन व आवेटन आदेश की प्रति, एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट, दखलनामा संलग्न है।

2 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम आवंली संवत 2041–2044

3 नकल जमाबन्दी ग्राम आवंली संवत 2038–2057

4 नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम आवंली संवत 2038–57

5 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा

6 नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.1988 मोडूलाल पुत्र रामलाल जाति गूजर

दौराने वाद प्रकरण में प्रतिवादी सरकार की ओर से, तीन माह व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अपने पक्ष में कोई भी जवाब अथवा साक्ष्य नहीं पेश किये जाने पर न्यायालय की ओर से प्रतिवादी को एक अन्तिम अवसर देते हुये न्यायालय के पत्र क्रमांक 769 दिनांक 28.03.2017 से प्रकरण के कथनों का जवाब एवं साक्ष्य पेश किये जाने हेतु लिखा गया। इसके उपरान्त प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से अपने पक्ष में गवाह बाबूलाल पुत्र रामलाल, मांगीलाल पुत्र सूरजमल, छोटूलाल पुत्र धन्नालाल के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये गये जिनमें वादी अथवा उनके पूर्वजों का लगातार निर्विवादित कब्जा होना एवं आदिनांक भी वादी का कब्जा होना स्वीकार किया गया है, जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में पत्रावली के बहस में आने पर विद्वान अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा वाद में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि दौराने सेटलमेन्ट, वादी को आवंटित आराजी को वादी की गैरखातेदारी से हटाकर सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि विवादित आराजी मूल आवंटन के अनुसार वादी के दादा मोडूलाल पुत्र रामलाल की गैर खातेदारी में दर्ज थी तथा वादी की आदिनांक तक भी विवादित आराजी पर कब्जे–काश्त है। अतः वादी को आवंटित आराजी के नये खसरा नम्बर 274 रकबा 2.40 हैक्टर का खातेदार घोषित किये जाने तथा उक्त खसरा नम्बरान को वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

वादीगण द्वारा कथन किया कि राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुये उक्त आवंटन भूमि तीन वर्ष के पश्चात स्वतः ही खातेदारी अधिकार 1970 नियम 18 के तहत तहसीलदार का यह कर्तव्य है कि उस भूमि को खातेदारी में परिवर्तित किया जाना चाहिये, अगर उक्त भूमि का विधिवत आवंटन हुआ है। इसके समर्थन में आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1220, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 200, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 559 में उल्लेखित किया गया है कि सेटलमेन्ट विभाग को आवंटन भूमि का इन्द्राज वादी के नाम करना चाहिये था, जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नहीं किया जाकर उक्त भूमि को सेटलमेन्ट विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया। सेटलमेन्ट विभाग को यह अधिकार नहीं है कि सेटलमेन्ट के पूर्व के इन्द्राज को विलोपित कर सके या उसमें रद्दोबदल कर सके। इसके

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (ग्रा.)

समर्थन में आर.एल.डबल्यू 2006 (1)आर.जे. 290, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 391, आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244, आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 151 एच.सी., आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244 एच.सी., व 200 आर.आर.टी. 1993 पेज 44 प्रस्तुत है। उक्त नजीरों के आधार पर सेटलमेन्ट को बिना विधिक प्रक्रिया के या बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रविष्टि में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है।

हमने वादी वकील की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के गुणावगुण के आधार पर, आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप पेश किये गये राजस्व दस्तावेजों के आधार पर वादी को आराजी का आवंटन होना तथा उसकी गैर खातेदारी में दर्ज किया जाना सिद्ध हो रहा है, जिसे दौराने सेटलमेन्ट सिवायचक दर्ज कर दिया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम ग्राम आवंली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 274 रकबा 4.02 हैक्टर में से 2.40 हैक्टर आराजी का *(आवंटन के आधार पर)* वादी को खातेदार घोषित करते हुये वादी के खाते दर्ज किया किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। सिवायचक के स्थान पर विवादित आराजी को मूल आवंटी मोडूलाल पुत्र रामलाल, जाति गूजर के उत्तराधिकारी वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा, आदेशानुसार पालना कर न्यायालय को अवगत भिजवावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19 जुलाई, 2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार सिन्धव)
R.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी :– **प्रमोद कुमार सिन्धव, आर0ए0एस0**

बउनवान : –

बाबुलाल आत्मज स्व0 श्री रामलाल जाति गुर्जर, निवासी रोझडी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (वादिनी)

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान (प्रतिवादी)

उपस्थिति : अभिभाषक वादीगण श्री बद्रीप्रकाश, शर्मा

दावा बाबत : 88,89,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 7 / 17
निर्णय दिनांक : 19.07.2017

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी अभिभाषक श्री बद्री प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने एवं राजस्व व अन्य समस्त अभिलेखों के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त आज तारीख 19–07–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिन्धव आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम ग्राम आवंली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 274 रकबा 4.02 हैक्टर में से 2.40 हैक्टर आराजी का *(आवंटन के आधार पर)* वादी को खातेदार घोषित करते हुये वादी के खाते विवादित आराजी खसरा नम्बर 274 रकबा 2.40 हैक्टर को सिवायचक के स्थान पर, वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा, आदेशानुसार पालना कर न्यायालय को अवगत कराये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 19.07.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार सिन्धव)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2. अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. अदर्शो के लिये स्टाम्प		3. प्लीडर के लिये फीस	
4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6. कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	